

भ्रष्टाचार

ग्रामीणों नें जिम्मेदार अधिकारियों से की कार्यवाही की मांग

सरपंच-सचिव द्वारा पंचायत की राशि पर लगाई जा रही सैंध

ब्योहारी। जनपद पंचायत ब्यौहारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चोरी इन दिनों भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। यंहा बिना काम कराये ही राशि का आहरण सरपंच एवं सचिव द्वारा किया जा रहा है और पंचायतों मे निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी भी आंख बंद कर चुप्पी साधे हुए हैं। देखा जाये तो दूर के नाम पर हर माह भारी भरकम राशि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आहरित की जा रही है पर ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिव द्वारा किये जा रह।

भ्रष्टाचार पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है या फिर कुछ और है ये तो वही जाने किन्तु जिस तरह से सरपंच सचिव द्वारा बिना कार्य कराये ही शासकीय राशि मे सेंध



फर्जी बिल लगाकर निकाल ली सीग्रेसन सेड की राशि

ग्राम पंचायत चोरी के सरपंच और सचिव श्रीराम तिवारी द्वारा कुछ ऐसा कारनामा किया गया है जो इन दिनों ग्राम पंचायत मे चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मे सीग्रेसन सेड निर्माण कराये जाने के नाम पर 2 साल पूर्व सरपंच सचिव द्वारा फर्जी बिल लगाकर सम्पूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया है और आज तक सीग्रेसन सेड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है।



लगानें का कार्य किया जा रहा है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा उससे लोगों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियो पर सवालिया निशान लगाया जाना स्वाभाविक ही है।

अमृत सरोवर निर्माण के नाम पानी नें वहा दिये 19 लाख रुपये

शासन की अति महत्वकांक्षी योजना अमृत सरोवर जिसका

उद्देश्य जल संरक्षण और स्थायी जल प्रबंधन कार्य को बढ़ावा देना है उसे भी इन भ्रष्टाचारियों द्वारा नहीं बक्सा गया है लिहाजा उसमे एक बूंद पानी नहीं है। अमृत सरोवर से भले ही किसी का भला न हुआ हो पर सरपंच सचिव का भला जरूर हुआ है।

वहां के किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि तकनीकी देख रेख करने वाले जिम्मेदार अधिकारी भी सरपंच सचिव से साठ गांठ कर उनके भ्रष्टाचार पर अपनी मोहर लगा राशि आहरित करने की स्वीकृति दे शासकीय राशि पर सेंध लगाने का कार्य किया गया है जिसकी यदि बारीकी से टीम गठित कर जांच कराई गयी तो पूरा मामला स्पष्ट हो जायेगा।

ग्राम पंचायत में सचिव की अनुपस्थिति से ग्रामीण परेशान

गोहपारू।क्षेत्र के अंतर गत देवदहा का मामला है ग्राम पंचायत देवदहा का मामला प्रकाश में आया है जहां ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय से नदारद रहते हैं जहां स्थानीय लोग अपने कार्य के लिए चक्कर लगाते हैं जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

साथ ही हमारी टीम द्वारा लोगों की जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत देवदहा का निरीक्षण किया गया तो ग्राम पंचायत में मोबलाइजर और रोजगार सहायक बैठे रहते है रोजगार सहायक से पूछा जाता है तो कहते है कि कही मीटिंग बताते है तो कही कहते है कि छुट्टी में है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत सचिव को दूरभाष नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया जाता है तो वो भी कहते है कि हम छुट्टी में है किंतु मोबाइल फोन से संपर्क करते हैं तो कभी उठाते है तो कभी नहीं उठाते उनके द्वारा रिसीव नहीं किया जाता ऐसे में ग्रामीणों का परेशान होना लाजमी है।



ग्रामीणों का कहना है कि सचिव का कार्यालय में नहीं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह अपने घर से आते हैं जो पंचायत कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है। बहरहाल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पंचायत के ग्रामीण लोगों के साथ साथ ग्राम पंचायत के विकास में भी अस्पर न पड़े। इनके जिम्मेदार कौन होगा।

आपदा प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यशाला



शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव की उपस्थिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लालपुर स्थित कार्यालय में आपदा प्रबंधन क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान सतत रूप से चलाया जाए, किसी भी दुर्घटना के घटित होने पर प्रशिक्षित दलों को समय पर भेजकर बचाव के कार्य किए जाए, इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित करें।

जिले में काम करने वाले संस्थानों

को संभावित दुर्घटनाओं को टालने, घटना होने पर बचाव के सभी आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। जिले में कार्यरत रिलायंस तथा ओरियंट पेपर मिल में सुरक्षा उपायों तथा संभावित दुर्घटनाओं तथा सूचना तंत्र की समीक्षा की। क्षमता निर्माण कार्य शाला में जहरीली गैस से बचाव, भूकंप के समय जीवन रक्षा के उपाय, केमिकल दुर्घटनाओं से बचाव, कार्डियक अटैक से बचाव हेतु सीपीआर के उपयोग, बाढ़, सूखा तथा तूफान से बचाव के उपाय भी बताए गए। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने कहा कि सभी

विभाग आपस में समन्वय बनाकर रखे तथा विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी भी संकलित कर रखें। सोशल मीडिया में वायरल होने वाली खबरें, पोस्टें पर नजर रखें, अपवाह वाली खबरों की सतत मॉनिटरिंग करें तथा आवश्यकता होने पर उनका खंडन भी करायें। कार्यशाला में एसईसीएल के जीएमकुष्णा, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ पी.टी.आई. पुलिस सहित प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन दल के सदस्य उपस्थित रहे।

पत्नी की हत्या का सुलझा मामला

आरोपी छोटेला लाल कोल 24 घंटे में ब्यौहारी पुलिस की गिरफ्त में

शहडोल। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, थाना ब्यौहारी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 09.05.2025 को फरियादी रामप्रकाश कोल पिता बाल्मीक कोल, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम खड्डा द्वारा थाना ब्यौहारी में उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 08.05.2025 को भांजी सुधा कोल को पति छोटेला लाल कोल ने भल्लू उर्फ अमृतलाल कोल के साथ पकड़ लिया था।

इस बात को लेकर छोटेला लाल द्वारा रॉड एवं डंडा से पत्नी सुधा कोल के साथ मारपीट किया, जिस कारण भांजी सुधा कोल की मृत्यु हो गई है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी



में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक टीम शहडोल थाना घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मुक्तिका के शव का पंचनामा कर पी.एम. जांच कराया गया, जिसमे मुक्तिका की हत्या किये जाने की पुष्टि हुई है। प्रकरण की विवेचना के आधार पर आरोपी छोटेला लाल कोल पिता सूरज

कोल, निवासी जुनिया मोहल्ला, ब्यौहारी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर 02 टीमे गठित कर आरोपी छोटेला लाल कोल पिता सूरज तथा आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी छोटेला लाल कोल द्वारा लोहे की रॉड एवं डंडे से पत्नी सुधा कोल एवं भल्लू उर्फ अमृत लाल कोल के साथ मारपीट करना तथा सुधा

कोल की मारपीट कर हत्या कर देना स्वीकार किया गया। आरोपी छोटेला लाल कोल से घटना मे प्रयुक्त लोहे की रॉड एवं लकड़ी का डंडा जप्त किया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 10.05.2025 को न्यायालय पेश किया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी के दिशा निर्देशन में ब्यौहारी पुलिस द्वारा की गई है। कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्यौहारी निरीक्षक अरूण कुमार पाण्डेय एवं अभिनव स्टाफ वीरेन्द्र तिवारी, नरेन्द्र उपाध्याय, अजीत यादव, संजय द्विवेदी, अमृत यादव, पुष्पेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मालवाहक पिकअप, ट्रैक्टर में ढो रहे सवारियां

गोहपारू थाना क्षेत्र व थाना के सामने से निकलती है गाड़ियाँ

गोहपारू। गोहपारू में लगातार पिकअप ट्रैक्टर से और आटो जैसे मालवाहक गाडी से ठूस ठूस कर बारात ले जाया जाता है एवं ग्रामीण क्षेत्रो से बाजार के लिए सवारी ले जाया जाता है लगातार पिकअप वाहन से मालवाहक गाड़ी थाना के सामने से प्रतिदिन बारात के लिए कई पिकअप गाड़ी मालवाहक से बारतियों को ले जाया जाता है जिससे दुर्घटना होने पर कई बारतिया एवं सवारी की जान चली जाती है।

वहीं थाना गोहपारू के सामने से पिकअप जैसे माल वाहक गाड़ी निकलती है गोहपारू पुलिस इन पिकअप गाड़ियों के ऊपर कोई



कार्यवाही नहीं कर पा रही है जैसे मालवाहक मालिकों का हौसला बुलंद है जिससे मनुष्य के जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अभी हाल ही में लगभग एक माह पहले जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत बस पलट गई थी

जिससे बहुत सवारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।मालवाहक गाड़ी पिकअप पलटने से भी कई बारतियों एवम सवारियों की मृत्यु हो सकती है एवं कई लोगो को गंभीर चोट लग सकती है एव घायल हो सकते है

वही ग्राम खनौधी में घटना एक माह पूर्व में हुआ था बारतियों से भरा कृषि यंत्र के लिए बनाया गया ट्रैक्टर पलटने से कई लोगों को गंभीर चोट आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी थाना के सामने एवं तिराहा चौराहा से माल वाहक पिकअप गाड़ी जैसे वाहन प्रतिदिन थाना जयसिंहनगर गोहपारू से निकलती है और पुलिस उनको देखते ही रह जाती है आखिर पुलिस इन मालवाहक को गाड़ियों को पर कोई कार्यवाही नहीं होती पुलिस के ऊपर सवाल यह भी उठता है कि सवाह महीना तो फ़िस्त नहीं है आखिर कहीं ना कहीं पुलिस कार्यवाही नहीं कर पा रही है तो कौन करेगा इन पर कार्यवाही और कौन होगा जिम्मेदार।

ठेकेदार से मारपीट कर की लूटपाट

जबलपुर।हनुमानताल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ठेकेदार के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट कर दी। इसके बाद फ़रार हो गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार पटेल 54 वर्ष निवासी स्टार सिटी फेस 4 कटंगी रोड थाना माढोताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ठेकेदार है। शुक्रवार दोपहर लगभग 3 बजे सुखे हुये हनुमानताल तालाब के बीच में काम करा रहा था तभी वही पर बने फ़ुहारे के नीचे धर्मन्द्र सोनकर, नितिन सोनकर, अक्षय सोनकर उर्फ राहुल, लीला सोनकर बैठे थे, वारों लड़के उसके पास आये उनमें से धर्मन्द्र उर्फ भूरा उससे पाटी करने के लिये 5 हजार रुपये मांगने लगा, उसने मना किया तो वारों उसके साथ मारपीट करने लगे।उसका मोबाइल तोड़ दिया। जेब में रखे 14 हजार रुपये, व्यापार संबंधी लेखा जोखा के कागजात ले गए।

अवैध निर्माण

प्राथमिक दृष्टिकोण में यह पाया गया था की मौका स्थल पर निर्माण कार्य ली गई परमिशन से ज्यादा

मामला करोड़ों रुपए की जमीन अतिक्रमण का, अब होगा 25 को सीमांकन

शहडोल।राजेंद्र टॉकोज के पीछे मस्ता परिवार द्वाराबहुचर्चित भूमि अतिक्रमण के प्रकरण से संबंधित जमीन की सीमांकन के लिए राजस्व व नज़ूल तथा पटवारी का दल आज सीमांकन के लिए मौका स्थल पर पहुंचा इसी दौरान बरसात होने के कारण कुछ देर के लिए सीमांकन की कार्यवाही प्रभावित हुई लेकिन जैसे ही सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई राजस्व अधिकारियों के स्तर पर बुलाई गई एक बड़ी मीटिंग के कारण राजस्व डाल टीम ने सीमांकन की कार्यवाही तक के लिए टाल दी गई तत्पश्चात 25 मई को अगली सीमांकन हेतु तिथि सुनिश्चित करके राजस्व दल ने उपस्थित दोनों पक्षकार शिकायत करता चंद्रिका प्रसाद शुक्ला तथा मिनांशु मस्ता को मौके पर

उपस्थित रहने का निर्देश दिया सीमांकन की प्रक्रिया पूरी हो सके। प्राथमिक दृष्टिकोण में यह पाया गया था की मौका स्थल पर निर्माण कार्य ली गई परमिशन से ज्यादा जमीन पर निर्मित किया गया है साथ ही आप यह भी है कि जिस खसरा नंबर 1849 में तथाकथित किराएदारी के आधार पर स्टेट बैंक के लिए बनाई जा रहे नवीन भवन निर्माण जिस खसरा नंबर 1849 में निर्मित किया जाना है वास्तव में वह 1847 में भूमि अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। हालांकि पक्षकार मस्ता परिवार इस बात से सहमत नहीं है किंतु वह राजस्व अधिकारियों को जांच करने में सहयोग भी करता हुआ दिखाई नहीं दिया जिससे चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत सिद्ध होती दिखाई दे रही है



बहरहाल जनसुनवाई में वाई.नं.-14 निवासी सेवानिवृत्ति मीनिंग सरवर चंद्रिका प्रसाद शुक्ल ने कमिश्नर शहडोल के सामने

अपनी समस्या रख कर बताई कि उनकी जमीन सोहागपुर की आराजी खसरा नंबर 1847 के अंश रकवा 0.040 हे० क्षेत्र को

क्रय कर शहडोल कलेक्ट्रेट में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त के बाद भवन रह रहा है। और उनकी निजी जमीन तथा उससे लगे खसरा नंबर 1847 के दक्षिण भाग पर निस्तारू रास्ता था जिसमें पूर्व भूमिस्वामी मिनांशु मस्ता द्वारा गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण कर विवाद बना रहा है। बताया जाता है उन्होंने पहले आपसी समझौता के आधार पर निस्तार चलता रहा। अब मेरी जमीन तथा आरक्षित रास्ते की जमीन पर में मिनांशु द्वारा स्टेट बैंक का व्यवसायिक कार्यालय बनाये जाने के कारण स्वतंत्र रास्ता पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है जबकि नगर

पालिका अधिकारी द्वारा मकान के संबंध में जारी की गई अनुमति को अब तक ना तो निरस्त किया गया है और ना ही इस पर कोई प्रभावशाली रोकपूर्ण कार्रवाई की गई है। जिससे आम रास्ता सड़क के लिए आरक्षित की जमीन पर

अवैध कब्जा लगातार हो रहा है। देखा जा यह भी होगा कि स्टेट बैंक अपने फायदे के लिए क्या इस अवैध निर्माण पर अपनी सहमति प्रदान करती है अथवा वह भी भ्रष्टाचार की गंगा में गोता लगाते पर विचार्यस करती है।

मौके पर उपस्थित अतिक्रमण के आरोपी मिनांशु मस्ता के पिता जेपी मस्ता भी वहां पर उपस्थित रहे उन्होंने कहा की जमीन पूर्व में राजेंद्र नगर के रूप में विकसित की गई थी जिसका टाउन कट्टी प्लानिंग से एक नक्शा भी बना है जिसके आधार पर राजेंद्र नगर का विकास हुआ है जो फिहाल राजेंद्र टॉकोज के पीछे वाला हिस्सा है। विवाद इस पर भी देखा गया कि रास्ते का निर्धारण टाउन कट्टी प्लानिंग के कथित नक्शे पर आधारित है जो खसरा नंबर 1847 की जमीन का अंश भाग है इस तरह उपस्थित राजस्व दल ने पहली नजर में सीमांकर के साथ खसरा नंबर 1847 और 1849 नंबर की सीमाओं को निर्धारण कर प्राथमिकता के आधार पर इस सीमांकन को 25 में को संपन्न करगें। जबकि शिकायत करता चंडिका प्रसाद शुक्ल का कहना है इस तरह की लेट होने से अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ रहा है और वह अतिक्रमण को पूर्ण रूपण तेजी से कार्य कर अंजाम दे सकता है।